राजभाषा विभाग का परिचय व दायित्व

राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं काअनुपालन करने एवं संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून,1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास करता आ रहा है।

राजभाषाविभागकेदायित्व निम्नलिखितहैं-

1. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा **राजभाषा अधिनियम, 1963** के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंप दिया गया है।
2. राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुबंधों के अनुसार केन्द्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों बैकों/उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रचार और प्रगामी प्रयोग हेतु **वार्षिक कार्यक्रम** तैयार किया जाता है और वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों तथा राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करता है जोकि सदन के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है ।
3. राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए **राजभाषा नियम, 1976** बनाए गए हैं । इन नियमों के अनुसार भाषाई आधार पर देश को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में रखा गया है ।
   - (i) **'क्षेत्र क'** से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं ।
   - (ii) **'क्षेत्र ख'** से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं ।
   - (iii) **क्षेत्र 'ग'** में उपर्युक्त राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं ।
4. उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन।
5. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन तथा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केन्द्रीय उत्तरदायित्व।

6. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण पाठयक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।
7. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन।
8. केन्द्रीय हिंदी समिति (इसकी उप समितियों सहित) से संबंधित मामले।
9. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय ।
10. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले।
11. हिंदी शिक्षण योजना सहित केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित मामले।
12. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित मामले।
13. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित मामले।